

कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :- एफ12(294)सर्वे/संमुखसं/2020-21/ 9225 दिनांक :- 01-12-2020

निमित्त :-

उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर।

विषय:-खसरा नं. 159/43 किला नं. 13 भूखण्ड साईज 35 गुणा 35 मीटर
गांव 10एम.सी.,तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में रुपान्तरित भूमि
में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर आवागमन हेतु सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु
0.0488 हेक्टर वनभूमि का प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।
(proposal No. FP/RJ/ROAD/42790/2019)

प्रसंग:-आपका पत्रांक 8855 दिनांक 18.11.2020

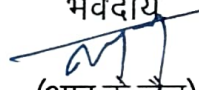
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम 10 एम.सी., तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में पेट्रोल पम्प पर सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु 0.0488 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों का अवलोकन करने पर निम्नांकित कमिया पायी गयी है:-

1. वनभूमि की गणना सीट पर उपवन संरक्षक के हस्ताक्षर नहीं है।
2. पी.डब्ल्यू.डी. की अनापति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है।

अतः मूल प्रस्तावों के तीन सेट उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति कर भिजवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(आर.के.जैन)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर।